

शहर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, हरियाणा सरकार की 19.08.2013 दिनांक अधिसूचना सं. PF-27/48921 और उसमें संशोधन के अनुसार उल्लिखित नीति के नियमों और शर्तों पर विकसित किए जा रहे अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत आवासीय अपार्टमेंट की बुकिंग के लिए सर्वसाधारण से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
(विवरण विभागीय वेबसाइट tcparyana.gov.in पर उपलब्ध हैं)

प्रोजेक्ट के विवरण

1. कॉलोनाइज़र/ डेवलपर	स्टर्नल बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड							
2. प्रोजेक्ट को प्राप्त स्वीकृति	लाइसेंस नं./वर्ष – 21 of 2020 दिनांक: 13-08-2020, निर्माण योजना स्वीकृति तिथि: 20.10.2020- मेमो नं.: ZP-1426/AD(RA)/2020/18570							
3. स्थान	सेक्टर 95, गुरुग्राम, हरियाणा।							
4. प्रोजेक्ट के क्षेत्रफल संबंधी प्रावधान	हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत 7.325 एकड़ में कुल 1061 अपार्टमेंट में से 397 अपार्टमेंट आवेदकों के लिए उपलब्ध हैं। इनमें से पॉलिस्सी अनुसार 5% फ्लैट मैनेजमेंट कोटे में आरक्षित हैं और 95% अपार्टमेंट सर्वसाधारण के लिए हैं। समुदाय सुविधाएँ : 2000 वर्गफुट का एक समुदाय भवन और 2000 वर्गफुट का एक ऑनगनवाड़ी-सह-क्रेश।							
5. अपार्टमेंट के विवरण, आवंटन दर और भुगतान के नियम								
अपार्टमेंट के विवरण								
कैटेगरी (टाइप)	यूनिट की संख्या	कारपेट एरिया वर्गफुट (लगभग)	कारपेट एरिया वर्गमीटर (लगभग)	बाल्कनी एरिया वर्गफुट (लगभग)	बाल्कनी एरिया वर्गमीटर (लगभग)	अपार्टमेंट के एलॉटमेंट की दर (सब मिला कर)*	आवेदन के साथ बुकिंग की राशि *	एलॉटमेंट पर 20%
2BHK TYPE I	150	585.174	54.364	87.511	8.130	2545242	122887	513424
2BHK TYPE II	80	594.517	55.232	84.928	7.890	2581900	124849	520626
2BHK TYPE III	164	585.562	54.400	87.511	8.130	2546872	122968	513750
2BHK TYPE IV	3	595.637	55.336	84.928	7.890	2586604	125084	521567

**पंजीकरण शुल्क अतिरिक्त

देय शेष राशि परियोजना के निर्माण लिंक भुगतान योजना के अनुसार देय राशि के बराबर होगी जैसा कि प्रासंगिक समय पर निर्माण चरण के संदर्भ में लागू होता है

6. पार्किंग	प्रत्येक अपार्टमेंट के लिए दुपहिया वाहन पार्किंग।
7. अपार्टमेंट के बारे में सामान्य विवरण	<ul style="list-style-type: none"> फ्लोरिंग : कमरों में विट्रिफाइड टाइल्स, किचन में विट्रिफाइड/सिरामिक टाइल्स, टॉयलेट में एंटी स्किड सिरामिक टाइल्स, बाल्कनी में एंटी स्किड/मैट फिनिश सिरामिक टाइल्स, • खिड़कियाँ : IS कोड के अनुसार M.S. सेक्शन/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • दरवाजों के फ्रेम : रेड मरंजरी/माइल्ड स्टील/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • वॉल टाइल : 4 फुट/7 फुट की ऊँचाई तक सिरामिक टाइल्स एवं ऊपर ऑयल बारंड डिस्टेंस्पर • किचन कार्टर टॉप ग्रीन मार्बल/ग्रेनाइट • दीवार : ऑयल बॉर्ड डिस्टेंस्पर • सेनिटरी फिटिंग : ISI मार्क CP फिटिंग्स, W.C. और वॉश बेसिन • इलेक्ट्रिक फिटिंग : ISI मार्क। स्ट्रक्चर : IS कोर्ड और NBC के नवीनतम सुझावों के अनुसार, RCC फ्रेम स्ट्रक्चर को SEMIC फोर्स से बचाव के लिए, डिजाइन किया गया है।
8. आवेदन की समय सीमाएँ	<ul style="list-style-type: none"> दिनांक 18.12.2021 से ई-ड्रा द्वारा आवास इकाइयों के आवंटन के लिए आवेदन जमा करने के लिए टीसीपी वेबसाइट (https://edraw.tcparyana.gov.in/tcp-dms/home) पर ऑनलाइन आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें: 7053-121-121 आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि: 01.01.2022 है।

योग्यता : 1. आवेदक पर किसी मौजूदा कानून के तहत कानूनी तौर पर बाध्यकारी करार करने पर रोक नहीं हो। 2. आवेदन कोई भी कर सकता है हालाँकि एलॉटमेंट में प्राथमिकता PMAY (पीएमएवाई) लाभार्थियों को दी जाएगी जिनमें आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान शामिल हैं जिनकी पहचान 'प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए आवास' प्रोग्राम के तहत शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के तहत की गई हो। पहली प्राथमिकता कथित शहर के पहचान किए गए लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद हरियाणा राज्य के अन्य पीएमएवाई लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद बचे फ्लैट के एलॉटमेंट में ऐसे आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका हुडा की किसी कॉलोनी/सेक्टर या हरियाणा शहरी क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की किसी लाइसेंसड कॉलोनी में अपना फ्लैट/प्लॉट नहीं हो। 3. एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकता है। इस नीति के तहत सफल कोई भी आवेदक इस नीति के तहत अन्य किसी कॉलोनी में अन्य फ्लैट के लिए आवेदन योग्य नहीं माना जाएगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक कॉलोनी में आवंटन के लिए सफल होता है तो पसंद का केवल एक फ्लैट चुनना होगा। 4. आवंटन के लिए आवेदन जमा करते समय सहायक शपथ पत्र और पात्रता का प्रमाण पत्र टीसीपी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है।

आवंटन के मानक : 1. अपार्टमेंट का आवंटन एक समिति के सामने लॉट्री से होगा। समिति में उपयुक्त या उनके प्रतिनिधि (न्यूनतम हरियाणा लोक सेवा स्तर के अधिकारी), वरिष्ठ नगर नियोजक (सर्कल कार्यालय), संबद्ध जिले के डीपीओ और संबद्ध कॉलोनाइज़र के प्रतिनिधि होंगे। 2. लॉट्री की तिथि निर्धारित करने के बाद डेवलपर उसी समाचार पत्र में विज्ञापन देंगे जिसमें यह मूल विज्ञापन प्रकाशित होगा। विज्ञापन में आवेदकों को लॉट्री की तिथि और स्थान के विवरण दिए जाएंगे। 3. मानकों की पूरी जानकारी और आरंभिक जाँच और आवंटन के लिए निर्धारित समय सीमा के लिए आवेदक अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग पॉलिस्सी 2013 के विवरण देखें जो 19.08.2013 दिनांकित अधिसूचना सं. PF-27/48921 और उसमें संशोधन में उपलब्ध है। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcparyana.gov.in पर उपलब्ध हैं)।



STERNAL BUILDCON PRIVATE LIMITED | CIN: U70109DL2009PTC195052

Regd. Office: 13th Floor, Dr. Gopal Das Bhawan, 28 Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001
Corp. Office: Ground Floor, Tower A, Signature Tower, South City -1, Gurugram, Haryana-122001 | www.signatureglobal.in

HOME LOAN PARTNER

